रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1973/चैत्र 22, 1895

No. 145] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1973/CHAITRA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

25 MAR 1973

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th April, 1973.

S.O. 219 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighth Amendment Order, 1973.

2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, item No. 74 shall be substituted by the following :—

"74. Marine Products—Canned and Frozen Products and Frog Legs [not covered by entry No. 22(a) and (b) of Part 'A' of Schedule I], Dried Prawns, Sharkfins, Fishmaws, Bombay Ducks and other dried Fish Products".

[No. E(C)O, 1968/AM (98)]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

एस० ओ० 219 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची I के भाग 'बी' में मद सं० 74 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"74 समुद्री उत्पाद—डिब्बा बन्द तथा जमाए हुए उत्पाद और मेंढ़क की टांगे [जो अनुसूची 1 के भाग 'ए' की प्रविष्टि 22 (ए) तथा (बी) के अन्दर शामिल नहीं हैं] सूखे हुए झींगे, शार्कपंख, मछली उदर, बम्बइयां बत्तख तथा अन्य सूखी मछली के उत्पाद ।"

[सं० ई० (सी) ओ, 1968/ए एम (98)]

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973